कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/24/2024

श्री अनिल कुमार निवासी 426 ए सेक्टर 3 भरतपुर मो.नं. 6375902720

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 06.06.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री अनिल कुमार निवासी 426 ए सेक्टर 3 भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/339 दिनांक 24.05.2024 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक राजस्व/484 दिनांक 24.05.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बन्ध में सम्बन्धित हल्का पटवारी गोलपुरा को तहसीलदार भरतपुर द्वारा लिखा गया है परन्तु पटवारी हल्का गोलपुरा द्वारा कोई कार्यवाही रिपोर्ट तहसील कार्यालय भरतपुर में पेश नहीं किये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना जाहिर आता है।

2......

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई/अपील/2024/24
अनिल कुमार बनाम तहसीलदार भरतपुर

अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र आर.टी.आई पर सम्बन्धित हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर) से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित की जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर